

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक: 3/पी0एम0सी0/कार्य/154/2017राँची, दिनांक.....

प्रेषक:

ई0 राजेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव (अभि०)

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो.-हिन्डू राँची।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

विषय: भूगर्भ जल सम्बर्द्धन/संरक्षण के संबंध में वित्तीय वर्ष 2018-19 में आयोजित किए जाने वाले बैठक, सम्मेलन, सेमिनार, वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण में भाग लेने तथा प्रचार प्रसार हेतु रु0 10.00 लाख (रुपये दस लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृति।

1. भूगर्भ जल सम्बर्द्धन/संरक्षण के संबंध में वित्तीय वर्ष 2018-19 में आयोजित किए जाने वाले बैठक, सम्मेलन, सेमिनार, वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण में भाग लेने तथा प्रचार प्रसार हेतु रु0 10.00 लाख (रुपये दस लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. इस कार्य को वित्तीय वर्ष 2018-19 में कराया जाना है।
3. इस कार्य पर होने वाला व्यय बजट शीर्ष "4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिवयय -796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-24-नई योजनाओं का भूगर्भ जल सर्वेक्षण कृत्रिम पुनर्भरण एवं जल संरक्षण" अंतर्गत प्राप्त बजट उपबंध के अधीन भारित हो सकेगा।
4. इस कार्य हेतु उप निदेशक, भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल राँची निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा निदेशक भूगर्भ जल निदेशालय, राँची नियंत्रण पदाधिकारी होंगे।
5. इन कार्यों के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं तथा मानको का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
6. झारखंड कोषागार संहिता के नियम-174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
7. किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत ही राशि की निकासी की जाएगी।
8. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
9. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

उप सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग

पत्रांक: 3/पी0एम0सी0/कार्य/154/2017राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/योजना -सह- वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

उप सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग

पत्रांक: 3/पी0एम0सी0/कार्य/154/2017

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि: संबंधित कोषागार, पदाधिकारी, राँची झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

उप सचिव (अभि0)

जल संसाधन विभाग

पत्रांक: 3/पी0एम0सी0/कार्य/154/2017

09/18-19 ज.खी.

राँची, दिनांक 25.05.2018

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल-3/निदेशक, भूगर्भ जल निदेशालय, राँची/उप निदेशक भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल, राँची एवं प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव (अभि0)

जल संसाधन विभाग

उप सचिव (अभि0)
25/05/18